तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 03/2017 अनवान गुमानसिंह बनाम मोहनसिंह**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र मुरटालागाला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 22.05.2018 अटल सेवा केन्द्र मुरटालागाला पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

आदेश

22.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र मुरटालागाला पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम मुरटलागाला पटवार क्षेत्र महाबार में उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है, जो अविभाजित है। उक्त भूमि में प्रार्थी ने अपना 1/5 हिस्सा घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण उसके हिस्से की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है तथा बेचान करने पर उतारू है। प ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण पंजीयन कर प्रार्थी को दिनांक 23.02.2017 से लगातार अप्रार्थीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नही की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। प्रार्थी ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे किसी प्रकार की रूची नही ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख से प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में नही है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अंकित होने के कारण उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल–शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner